

कार्यालय जिला पंचायत, जिला-जशपुर (छ.ग.)

-: आदेश :-

क्रमांक / 3068 / जि.पं. / शिक्षा.स्था / 2017

जशपुर, दिनांक :- 6-11-2017


छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक / पंचा. / पं.ग्रावि.वि / 22 / 141 / नया रायपुर दिनांक 21.06.2017 एवं छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 2-6 / 2014 / 20-दो / नया रायपुर दिनांक 30.08.2017 में दिये गये निर्देशानुसार शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं में आवश्यकता से अधिक कार्यरत व्याख्याता (पंचायत) को आवश्यकता/रिक्त पद वाले शालाओं में समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर संबंधित की सहमति एवं सामान्य प्रशासन समिति जिला पंचायत जशपुर की बैठक दिनांक 17.10.2017 में अनुमोदन उपरांत निम्नांकित व्याख्याता (पंचायत) को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कॉलम नम्बर 07 में आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है।

विषय :- वाणिज्य

क्र.	व्याख्याता पंचायत का नाम	पदनाम	विषय	वर्तमान पदस्थ शाला का नाम	विकास खण्ड	समायोजित पदस्थापना शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री विजय कुमार तिकी	व्या. पंचायत	वाणिज्य	शास.क.उ.मा. वि.कांसाबेल	कांसाबेल	शास.क.उ.मा.वि.पण्डरीपानी, फरसाबहार	फरसाबहार

उक्त व्याख्याता (पंचायत) को दिनांक 13-11-2017 तक समायोजित शाला में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


(कुलदीप शर्मा)

आई.ए.एस.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत जशपुर (छ.ग.)


जशपुर, दिनांक :- 6-11-2017

पु. क्रमांक / 3068A / जि.पं. / शिक्षा.स्था / 2017

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. संचालक, पंचायत संचालनालय इंद्रावती भवन, छ.ग. नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन, छ.ग. नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. कलेक्टर महोदया, जिला-जशपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

7. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.....जिला-जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ ।
8. सर्व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जिला-जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. प्राचार्य, शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. सर्व संबंधित कु./श्री/श्रीमती को सूचनार्थ एवं आदेश पालनार्थ ।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत जशपुर (छ.ग.)